



(1)

राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान,  
चिकित्सा, एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,  
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141-5110731, E mail ID : kayakalp.raj@gmail.com

क्रमांक:- F 50 (1) NHM/KAYAKALP/2018/ 588

दिनांक 25/10/2018

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति


राज्य में कायाकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन चयनित स्वास्थ्य संस्थानों ने Peer Assessment में 70 एवं 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हैं, उनका External Assessment कराया जाना है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पी.आई.पी. वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट मद-13.2.1 ( पूर्व बजट मद-B15.2.7.2) के अनुसार जिला स्वास्थ्य समितियों को प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 5,000/- रुपये के दर से निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

S.R.	District Health Society	No. of PHC @ 5,000 /- बजट मद- 13.2.1 (पूर्व बजट मद-बी 15.2.7.2)	Total (In rupees)
1	Ajmer	13	65000
2	Alwar	8	40000
3	Banswara	11	55000
4	Baran	4	20000
5	Barmer	6	30000
6	Bharatpur	1	5000
7	Bhilwara	7	35000
8	Bikaner	18	90000
9	Bundi	5	25000
10	Chittorgarh	1	5000
11	Churu	15	75000
12	Dausa	5	25000
13	Dungarpur	10	50000
14	Ganganagar	4	20000
15	Hanumangarh	14	70000
16	Jaipur I	24	120000
17	Jaipur II	9	45000
18	Jaisalmer	5	25000
19	Jalore	3	15000
20	Jhalawar	22	110000
21	Jhunjhunu	28	140000
22	Jodhpur	11	55000
23	Karauli	1	5000
24	Kota	12	60000
25	Nagaur	13	65000
26	Pali	17	85000
27	Pratapgarh	5	25000
28	Rajsamand	12	60000
29	Sawai Madhopur	2	10000
30	Sikar	34	170000
31	Sirohi	5	25000
32	Tonk	2	10000
Total		327	16,35,000/-

4  
17/5

उक्त बजट मद से External Assessment से संबंधित समस्त व्यय का भुगतान जैसे की Assessment कार्य हेतु, Travel, Lodging & Boarding से संबंधित व्यय का भुगतान भी किया जाना सुनिश्चित करे।

उक्त राशि का भुगतान NRHM flexipool में उपलब्ध राशि से किया जावे एवं आवंटित बजट की सीमा में ही किया जावे तथा व्यय की बुकिंग मद संख्या 13.2.1 में किया जाना सुनिश्चित करें।



शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क.एवं  
मिशन निदेशक, एनएचएम

दिनांक:- 25/10/2018

क्रमांक:- F 50 (1) NHM/KAYAKALP/2018/588

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक एन.एच.एम.।
3. परियोजना निदेशक, एनएचएम।
4. निदेशक वित्त को भेजकर लेख है कि उपरोक्त राशि जिला स्वास्थ्य समितियों में हस्तान्तरित करवाना सुनिश्चित करे।
5. स्टेट नोडल ऑफिसर, क्वालिटी एश्योरेंस।
6. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक।
7. ASPM/SFM/Co- Plan।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले को भेजकर लेख है कि उल्लेखित सूची के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, External Assessment से संबंधित Travel, Lodging & Boarding बिलों का भुगतान उक्त बजट मद से कराना सुनिश्चित करें।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल, सेटेलाइट अस्पताल एवं उप जिला अस्पताल।
10. समस्त अतिरिक्त/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.)।
11. समस्त आरसीएचओ।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक/जिला सलाहकार, एनयूएचएम/समस्त चिकित्सा अधिकारी/ प्रभारी।
13. समस्त हेल्थ मैनेजर।
14. प्रभारी सर्वर रूम।

परियोजना निदेशक  
एनएचएम